महत्वपूर्ण

ई-मेल-द्वारा

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0,
कम्प्यूटर सेल, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 201/1–18–2019/क0सेल/14/2016 दिनांक [illegible] मई, 2019

विषयः जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्जेज) के रूप में प्राप्त की जा रही धनराशि के अंश के पुनर्विभाजन, वितरण एवं उपयोग के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषयक शासनादेश संख्याः 77/78–2–2019–53आई0टी0/2012, दिनांक 05 फरवरी, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– सूच्य है कि शासनादेश संख्याः 11/78/–2–2016–34आई0टी0/2010, दिनांक 04 फरवरी, 2016 के प्रस्तर–4 में जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को दी जा रही शासकीयं सेवाओं हेतु लिये जाने वाले यूजर चार्जेज तथा उसके विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के मध्य अंश विभाजन एवं वितरण हेतु निम्नवत व्यवस्था प्राविधानित है–

क0 सं0	सेवा	डी0एस0पी0/केन्द संचालक	यूजर चार्जेज का अंश (रू0)		सी0ई0जी0	कुल यूजर चार्जेज(रू0)
			संबंधित विभाग	डी0ई0जी0एस0/लोकवाणी सोसाईटी		
1	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें (जनपद बांदा को छोड़कर)	6	5	7	2	20
2	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा (जनपद बांदा को छोड़कर)	11	10	7	2	30
3	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें (जनपद बांदा हेतु)	7	5	6	2	20
4	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा (जनपद बांदा हेतु)	12	10	6	2	30

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 फरवरी, 2016 के प्रस्तर–4 में संशोधन करते हुए संदर्भित शासनादेश दिनांक 05 फरवरी, 2019 में जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्जेज) के रूप में प्राप्त की जा रही धनराशि के अंश का पुनर्विभाजन निम्नानुसार किया गया है–

क्र0 सं0	सेवा	डी0एस0पी0 / केन्द्र संचालक	यूजर चार्जेज का अंश (रू0)		सी0ई0जी0	कुल यूजर चार्जेज(रू0)
			संबंधित विभाग	डी0ई0जी0एस0 / लोकवाणी सोसाईटी		
1	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें (जनपद बांदा को छोड़कर)	6	3	9	2	20
2	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा (जनपद बांदा को छोड़कर)	11	8	9	2	30
3	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें (जनपद बांदा हेतु)	7	3	8	2	20
4	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा (जनपद बांदा हेतु)	12	8	8	2	30

इस क्रम में संदर्भित शासनादेश दिनांक 05 फरवरी, 2019 में प्राविधानित है कि नवीन व्यवस्था में जन सेवा केन्द्रों पर प्रत्येक सेवा/आवदेन के सापेक्ष प्राप्त यूजर चार्जेज के अंश में से आवश्यकतानुसार रू0 5.00 की सीमा तक प्रति आवेदन भुगतान शासनादेश संख्या–1110/78–2–2014–53 आई0टी0/2012 दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 द्वारा लागू की गयी प्रयोक्ता प्रभार निधि नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार आय, जाति, निवास प्रमाण–पत्रों एवं अन्य शासकीय सेवाओं की प्रिटिंग इत्यादि में हो रहे खर्चे की प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित जनपद की डी0ई0जी0एस0 सोसाइटी के बढ़े हुए अंश में से डी0ई0जी0एस0 द्वारा संबंधित कार्मिक को किया जायेगा। इसी प्रकार ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध अन्य विभागीय सेवाओं/आवेदनों से प्राप्त यूजर चार्जेज के अंश में से आवश्यकतानुसार रू0 5.00 की सीमा तक प्रति आवेदन का भुगतान संबंधित विभाग के कार्मिक को जनपद स्तरीय डी0ई0जी0एस0 सोसाइटी के माध्यम से किया जायेगा।

3– इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या: 77/78–2–2019–53आई0टी0/2012, दिनांक 05 फरवरी, 2019 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार जन सेवा केन्द्रों पर प्रत्येक सेवा/आवदेन के सापेक्ष प्राप्त यूजर चार्जेज के अंश में से आवश्यकतानुसार रू0 5.00 की सीमा तक प्रति आवेदन भुगतान शासनादेश संख्या–1110/78–2–2014–53 आई0टी0/2012 दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 द्वारा लागू की गयी प्रयोक्ता प्रभार निधि नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार आय, जाति, निवास प्रमाण–पत्रों एवं अन्य शासकीय सेवाओं की प्रिटिंग इत्यादि में हो रहे खर्चे की प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित जनपद की डी0ई0जी0एस0 सोसाइटी के बढ़े हुए अंश में से डी0ई0जी0एस0 द्वारा संबंधित कार्मिक को किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

20/5/19

(राम सिंहासन प्रेम)
आयुक्त एवं सचिव।